

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मोहम्मद मंज़ूर आलम उर्फ मोहम्मद मंज़ूर आलम

बनाम

हसीना खातून

2020 की विविध अपील सं.237

24 जून, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या परिवार न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अंतर्गत पारित अंतिम आदेश परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अंतर्गत विविध अपील योग्य है या आपराधिक पुनरीक्षण के अधीन है?

हेडनोट्स

कार्यालय द्वारा वर्तमान विवेचना अपील की ग्राह्यता को लेकर उठाई गई आपत्ति स्वीकार की जाती है, क्योंकि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पारित अंतिम आदेश, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(4) के अंतर्गत इस न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण के अधीन है। (पैरा 10)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 11)

न्याय दृष्टान्त

राज कुमार साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2008 (4) पी.एल.जे.आर. 817; सुनीता कुमारी बनाम प्रेम कुमार, 2009 एस.सी.सी. ऑनलाइन पट 253

अधिनियमों की सूची

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (धारा 19); दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अध्याय IX, धारा 125)

मुख्य शब्दों की सूची

परिवार न्यायालय; धारा 125 दंप्रसं; भरण-पोषण; सिविल मिस. अपील; क्रिमिनल रिवीजन;
धारा 19 परिवार न्यायालय अधिनियम; ग्राह्यता

प्रकरण से उत्पन्न

10.01.2020 को परिवार न्यायालय, कटिहार के विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश द्वारा
भरण-पोषण मामला संख्या 197/2013, सी.आई.एस. संख्या 618/2014 में पारित आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अंशुमन जयपुरियार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए :

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 की विविध अपील सं.237

=====

मो. मंजूर आलम उर्फ मो. मंजूर आलम, पिता- मो. सुल्तान अंसारी उर्फ मो. सुल्तान कवल, निवासी मोहल्ला-जी. एफ. रहमान कॉलोनी शरीफगंज, वार्ड सं. 39, डाकघर- दहेरिया मिल, थाना- सहायक (कटिहार), पिन-854103, जिला-कटिहार, मो.- 9971949378, वर्तमान निवासी गाँव-502, खैरपुर, कोटला मुबारकपुर, लोधी रोड, मध्य दिल्ली, दिल्ली, पिन-110003

... ..अपीलार्थी

बनाम

हसीना खातून, पिता-स्वर्गीय शेर मोहम्मद, पूर्व पति-मो. मंजूर आलम उर्फ मो. मंजूर आलम, वर्तमान निवासी मोहल्ला-जी. एफ. रहमान कॉलोनी शरीफगंज, वार्ड सं. 39, डाकघर- दहेरिया मिल, थाना- सहायक (कटिहार), पिन-854103, , जिला-कटिहार, मो.- 8051614979

.... .. उत्तरदाता

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अंशुमन जयपुरियार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए :

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

तारीख:24-06-2023

1. वर्तमान विविध अपील, विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कटिहार द्वारा भरण-पोषण वाद संख्या 197/2013/सी.आई.एस. संख्या 618/2014 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 10.01.2020 को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को अपनी पत्नी और दो बच्चों को भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया है।

2. कार्यालय ने 2008 (4) पीएलजेआर 817 में प्रतिवेदित राज कुमार साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ के निर्णय, के मद्देनजर वर्तमान विविध अपील की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति उठाई है, जिसमें माननीय खंडपीठ ने सभी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और निर्णय कानूनों पर विचार करने के बाद स्पष्ट रूप से माना है कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत पारित अंतिम आदेश उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी है।

3. हालांकि, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्ति का विरोध करते हुए कहा कि यह आपत्ति इस न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ द्वारा 2009 एससीसी ऑनलाइन पैट 253 में प्रतिवेदित सुनीता कुमारी बनाम प्रेम कुमार के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर टिकने योग्य नहीं है।

4. हमने सुनीता कुमारी मामला (उपरोक्त) का अवलोकन किया, जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था। हम पाते हैं कि इस मामले में शामिल मुद्दा वर्तमान विविध अपील से अलग था। सुनीता कुमारी मामला (उपरोक्त) में, मुद्दा यह था कि क्या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत दायर अपील को प्रथम अपील या विविध अपील माना जाना चाहिए, और सभी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और उदाहरणों पर विचार करने के बाद, यह माना गया

कि अधिनियम की धारा 19 के तहत दायर अपील को विविध अपील माना जाना चाहिए न कि प्रथम अपील।

5. हालाँकि, वर्तमान विविध अपील में शामिल मुद्दा यह है कि क्या पारिवारिक न्यायालय द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत पारित अंतिम आदेश, विविध अपील या आपराधिक पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी है?

6. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 का अध्याय V अपील और पुनरीक्षण से संबंधित है। इस अध्याय में एकल खंड अर्थात् धारा 19 शामिल है। इस धारा की उप धारा 2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि पक्षकारों की सहमति से परिवार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश या दं.प्र.सं., 1973 के अध्याय IX के तहत पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। *(ज़ोर देने के लिए रेखांकन मेरा है)*। दं.प्र.सं. की धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के अंतर्गत आती है। अतः, यह स्पष्ट है कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत, दं.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

7. अब प्रश्न यह है कि दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश से व्यथित पक्ष के लिए क्या उपाय है? इसका उत्तर पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 की उप-धारा 4 में निहित है, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय, स्वयं या अन्यथा, किसी भी कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकता है और उसकी जाँच कर सकता है जिसमें पारिवारिक न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय IX के तहत आदेश पारित किया हो, ताकि वह आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सके, क्योंकि यह एक अंतरिम आदेश नहीं है, और ऐसी कार्यवाही की नियमितता के

बारे में भी। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

8. हालाँकि सवाल यह बना हुआ है कि क्या परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 (4) के तहत ऐसा संशोधन दीवानी संशोधन या आपराधिक संशोधन होगा। इस प्रश्न पर राज कुमार साह मामला (उपरोक्त) में माननीय खंड पीठ द्वारा व्यापक रूप से विचार किया गया है, जिसमें कंडिका 13 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के तहत कार्यवाही को छोड़कर परिवार न्यायालय दो प्रकार की शक्तियों, मुकदमों और कार्यवाही का प्रयोग करता है, जिसका निर्णय परिवार न्यायालय द्वारा जिला न्यायालय या अधीनस्थ व्यवहार न्यायालय के रूप में किया जाता है और दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के तहत कार्यवाही करते समय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अधिकारिता का प्रयोग किया जाता है। इन परिस्थितियों में, जब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किए गए हैं, तो अधिनियम की धारा 19 (4) के तहत इस अदालत के समक्ष संशोधन को नागरिक संशोधन नहीं कहा जा सकता है और यह उसी कंडिका में आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवार न्यायालय द्वारा दं.प्र.सं. के अध्याय IX के तहत पारित आदेश अधिनियम की धारा 19(4) के तहत आपराधिक पुनरीक्षण के रूप में पुनरीक्षण योग्य है। कंडिका 17 में यह पुनः देखा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पारिवारिक न्यायालय न तो जिला न्यायालय है और न ही अधीनस्थ व्यवहार न्यायालय और इसलिए, प्रमुख रूप में, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 19(4) के तहत पुनरीक्षण एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन के रूप में पंजीकृत किए जाने योग्य है।

9. इस प्रकार, अपीलार्थी की ओर से किया गया निवेदन गलत है और इस न्यायालय के लिए अस्वीकार्य है।

10. तदनुसार, कार्यालय द्वारा वर्तमान विविध अपील की स्वीकार्यता के संबंध में उठाई गई आपत्ति को बरकरार रखा जाता है, क्योंकि परिवार न्यायालय द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत पारित अंतिम आदेश परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(4) के तहत इस न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी है।

11. इसलिए, वर्तमान अपील को विचारणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, अपीलार्थी को कानून के अनुसार उचित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

अमरेंद्र/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।